

## देशी चिकित्सा निदेशालय, बिहार, पटना

सं0सं0-16/एच01-02/2016

(दे0चि0)/होमियोपैथिक औषधियों के निर्माण तथा थोक एवं

खुदरा होमियोपैथिक दवाओं की बिक्री करने हेतु आवश्यक मार्गदर्शिका, मापदंड एवं नीति निर्धारण से संबंधित निर्गत स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक- 405(दे0चि0), दिनांक- 18.03.2016 की कंडिका 4 के बारे में वैधिक सम्यक विचारोपरांत निम्न प्रकार से स्थिति स्पष्ट की जाती है:-

1. "ड्रग एण्ड कॉस्मेटिक नियमावली, 1945 के नियम 106 B के तहत 12% V/V से ज्यादा एल्कोहल (Ethyl Alcohol) जनित होमियोपैथिक औषधियों का 30ml से ज्यादा पैकिंग साईज का संचयन/भंडारण/क्रय-विक्रय/प्रदर्शन किया जाना निषेध है। होमियोपैथ डिस्पेंसरी (औषधालय) तथा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में उपयोग के लिए 100ml की मात्रा तक पैकिंग साईज हो सकता है", पढ़ा जाय।
2. पूर्व निर्गत स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक- 405(दे0चि0), दिनांक- 18.03.2016 इस हद तक संशोधित समझा जाय।

ह0/-

(डॉ0 श्याम सुन्दर सिंह)  
निदेशक, देशी चिकित्सा

ज्ञापांक- 450(दे0चि0)

(दे0चि0)/ पटना, दिनांक- 01/04/2016

प्रतिलिपि- सभी जिलाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक, सभी सिविल सर्जन/राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना/सभी प्राचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक, होमियोपैथिक एवं यूनानी कॉलेज/सभी जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी/सभी औषधि निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/बिहार राज्य होमियोपैथिक बोर्ड/माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आशुलिपिक/आयुक्त उत्पाद-सह-निबंधन महानिरीक्षक, निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, देशी चिकित्सा के निजी सहायक/प्रशाखा-16 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आपको निदेश दिया जाता है कि इसे स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के वेबसाईट पर अपलोड कर दें।

(सुनील)  
निदेशक, देशी चिकित्सा  
01/04/2016